न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– दयावती उर्फ दमयन्ती देवी पति जहारी सिंह सा0 कुदा बगैरह ....।

बनाम

वाद सं0 58/2020

द्वितीय पक्ष– उग्रसेन सिंह पिता स्व0 अभिमन्यु सिंह बगैरह...।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 23/4/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 12/2020 दिनांक 16/10/2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) दयावती उर्फ दमयन्ती देवी उम्र 63 वर्ष पति जहारी सिंह सा0 कुदा पोकला थाना कामडारा जिला गुमला बनाम **द्वितीय पक्ष** (1) उग्रसेन सिंह उम्र 70 वर्ष पिता स्व0 अभिमन्यु सिंह (2) सुरेश सिंह पिता उग्रसेन सिंह (3) नरेश सिंह सभी सा0 कुदा (4) उमेश सिंह पिता उग्रसेन सिंह (5) रूपेश सिंह पिता उग्रसेन सिंह सभी सा0 कुदा (6) लिलावती देवी पति नारायण सिंह ग्राम कनजोंगा थाना कोलेबीरा जिला सिमडेगा के बीच भूमि को लेकर आपसी तनाव एवं विवाद है। उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है साथ ही वाद के कार्रवाई की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2025.12.24 14:29:54 +05:30 Location: 192.168.1.37	